80/2024 गिरधारीलाल vs रामप्रसाद वगैरा

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
07.6.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें बाबत वाद पेश किया गया था। वादीगण का वाद प्रतिवादी के वारिसान तलबी में विचाराधीन चल रहा था। प्रार्थीगण के वाद–पत्र की न्यायालय हाजा में दिनांक 22.9.2022 को सुनवाई तारीख नियत थी,निर्धारित सुनवाई तारीख को प्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता एक अन्य आवश्यक प्रकृति के प्रकरण में अति–व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.9.2022 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। लेकिन पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को वाद खारिज की जानकारी नहीं दी गई तथा प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के संबध में जानकारी चाहे जाने पर संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दिए जाने पर प्रार्थीगण द्वारा मुझे अधिवक्ता नियुक्त किया गया। वादीगण के वाद के खारिज होने की जानकारी होने के तुरन्त बाद जरिए अधिवक्ता वाद को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा देरी की अवधि को माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम के तहत भी पेश की गई है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है। माननीय न्यायालय द्वारा यदि वाद को पुनः बरामद नहीं किया जाता है,तो वादीगण के साथ अन्याय होगा। अतः न्यायहित में वादीगण [illegible] त्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पुनः बरामद किया [illegible]। हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी [illegible] मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन [illegible]। जिसमें पाया की वादीगण का वाद दिनांक 22.9.2022 को सुनवाई हेतु नियत	Contd.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर वादी एवं वादी के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। वक्त खारिज के समय वादीगण का वाद प्रतिवादी के वारिसान तलबी में विचाराधीन था। वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज हुआ था। न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए,न की तकनीकी आधार पर। वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। जहां तक आवेदन पत्र को देरी से प्रस्तुत होना का प्रश्न है। इस संबध में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बताए गए तर्क पर बाद गौर न्यायालय हाजा देरी की अवधि को माफ किया जाना उचित समझता है। ताकि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा सके। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किए जाने पर मौन स्वीकृति है। यदि आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें–वाद–पत्र पुनःबरामद किए जाने बाबत अन्दर मयाद सुमार कर स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक [illegible] को निरस्त किया जाकर [illegible] का वाद संख्या 160/2017 अनवान [illegible] बनाम [illegible]लाल वगैरा को पुनः बरामद किया जाता है। आदेश सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या में एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested